जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-01.02.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटर साईकिल चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 05 मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 03.01.2025 को वादी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी अग्रवाल कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 DL9SAJ4081 को अज्ञात चोर द्वारा बुढ़ाना रोड़ शामली से चोरी कर ली गयी थी तथा दिनाँक 19.01.2025 को वादी श्री अर्जुन पुत्र सोहनलाल निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19E9818 को अज्ञात चोर द्वारा मार्शगंज मण्डी शामली से चोरी कर ली गयी थी। घटनाओं के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

आज दिनांक 01.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटर साईकिल चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये 02 वाहन चोरो को चोरी की गयी 05 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त मोटर साईकिलों को जनपद शामली, मेरठ, बागपत से चोरी करना बताया गया शेष 03 मोटर साईकिलों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.विशाल पुत्र हरवीर निवासी ग्राम खानपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

2.अनिरुद्ध पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी ग्राम करौंदा हाथी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि0नं0 UP19E9818 (थाना कोतवाली शामली से सम्बन्धित)

2.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0नं0 DL9SAJ4081(थाना कोतवाली शामली से सम्बन्धित)

3.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0नं0 UP15BV7162

4.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0नं0 UP15AQ0656

5.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर बिना नम्बर।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बस रोककर गाली गलौच करने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि आज दिनांक 31.01.2025 को ग्राम बिड़ौली उदपुर मार्ग पर कालेज की बस रोककर युवको द्वारा गाली-गलौज की गयी थी जिसके सम्बन्ध में योगेन्द्र पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम टोड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बस रोककर गाली गलौज करने के मामले में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.गौतम पुत्र विवल उर्फ बीरबल निवासी ग्राम बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.सूरज पुत्र रामबीर निवासी ग्राम शीतल गढी थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से टयूबवैल/नलकूप से चोरी किया गया केबिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 15/16.01.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लांक के जंगल से अज्ञात चोर द्वारा टयूबवैल/नलकूपों से चोरी की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर को टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किये गये केबिल सहित सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रविन्द्र पुत्र शीतल निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगीः-

1.चोरी किया गया केबिल करीब 20मीटर।

एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना आदर्शमण्डी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बनत में व्यक्ति की हत्या करने के मामले में लिप्त 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 21/11/2024 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री शुभम पुत्र सुदेश निवासी मौहल्ला आजादनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के पिता श्री सुदेश को अभियुक्तगण द्वारा घर से बुलाकर ले जाने व वापस घर न आने के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात दिनाँक 14/01/2025 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत खाली प्लाट में एक मानव कंकाल मिला था जिसकी पहचान परिजनों द्वारा अपहृत सुदेश के रुप में की गयी थी। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना आदर्शमण्डी को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति की हत्या करने के मामले में लिप्त 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्त हारुन ने पूछताछ पर बताया कि गुड्डी के पति की मृत्यू के बाद गुडडी मेरे साथ मजदूरी करने खेतो मे जाती थी और हम दोनो मे प्रेम हो गया। गुड्डी सुदेश के छोटे भाई ब्रहमपाल की पत्नी थी सुदेश को मेरा गुडडी के घर जाना बुरा लगता था तथा इस बात को लेकर मेरी व सुदेश की कहासुनी भी हुई थी। मैने व गुड़डी तथा रामफल व बूबा नें सुदेश की हत्या की योजना बनाई थी। दिनांक 13.11.2024 को मैने शराब पीने के बहाने सुदेश को संजीव की ट्यूबैल के पास बुलाया था मौके पर रामफल, बूबा व गुड्डी भी आ गये थे। मैने सुदेश पर फावडे से वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यू हो गयी थी फिर हमने सुदेश की लाश को पास मे खाली पडे प्लाट मे खडे झाड मे डालकर जला दिया था।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.हारुन पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला आजादनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.रामफल पुत्र बीजा निवासी मौहल्ला प्रतापनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.बूबा पुत्र मंजूरा निवासी मौहल्ला प्रेमनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

4.गुड्डी पत्नी ब्रह्मपाल निवासी मौहल्ला आजदनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 59,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1.-वर्ष 2023 में अभियुक्तगण 1.हिमांशु पुत्र विनोद निवासी मौहल्ला रेती थाना थानाभवन जनपद शामली 2.इन्तजार पुत्र नसीम निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 249/2023 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना द्वारा अभियुक्तगण हिमांशु व इन्तजार उपरोक्त को धारा 457 भादवि में 14-14 माह कारावास व 10,000-10,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 380 भादवि में 06-06 माह कारावास व 2,000-2,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में 06-06 माह कारावास व 2,000-2,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2023 में अभियुक्तगण 1.हिमांशु पुत्र विनोद निवासी मौहल्ला रेती थाना थानाभवन जनपद शामली 2.इन्तजार पुत्र नसीम निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 250/2023 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना द्वारा अभियुक्तगण हिमांशु व इन्तजार उपरोक्त को धारा 457 भादवि में 14-14 माह कारावास व 10,000-10,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 380 भादवि में 06-06 माह कारावास व 2,000-2,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में 06-06 माह कारावास व 2,000-2,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2009 में अभियुक्त राशिद पुत्र राजूदीन निवासी मौहल्ला कलन्दरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0स0 1142/2009 धारा 354 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354 भादवि में 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI